

FIRE PREVENTION AND FIRE

SAFETY ACT, 2005'

(U. P. Act No. 5 of 2005)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature)



(17th March, 2005]

CONTENTS

Section	Section
1. Short title and commencement.	9. Appeals.
2. Definitions.	10. Bar of jurisdiction of Courts.
3. Inspection of buildings, premises, etc	11. Penalties.
4. Measures for prevention and fire safety.	12. Offences by Companies
5. Power to seal buildings or premises.	13. Sanction of prosecution.
6. Provision regarding certain building and premises.	14. Jurisdiction.
7. Permission for certain buildings	15. Protection of action taken in good
8. Default-Powers of the Chief Fire Officer	16. Officer to be public servant.
	17. Power to make rules.
	18. Repeal and saving. Officer.

An

Act

to make more effective provision for the fire prevention and fire safety measures

in certain buildings and premises in the State of Uttar Pradesh. It is hereby enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:

Statement of Objects and Reasons.—The United Provinces Fire Service Act, 1944 (U. P. Act No. 3 of 1944), was enacted to provide for the constitution and maintenance of a Provincial Fire Service for fire fighting in the State but there was no enactment for fire prevention and fire safety in the State. The provisions with respect to fire prevention and fire safety under various Acts and rules etc. were not sufficient for providing effective measures of fire prevention and fire safety in certain buildings and premises in the State. It was, therefore, decided to make a law for making effective provisions for fire prevention and fire safety in certain buildings and premises in the State of Uttar Pradesh.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Ordinance, 2005 (U. P. Ordinance No. 5 of 2005) was promulgated by the Governor on 24th January, 2005.

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act, 2005. (2) It shall be deemed to have come into force on 24th January, 2005.

2. Definitions. In this Act,

- (a) "*building*" means a house, outhouse, stable, latrine, urinal, shed, hut, wall (other than a boundary wall) or any other structure, whether of masonry, bricks, wood, mud, metal or other material;
- (b) "*Chief Fire Officer*" means the Chief Fire Officer under the United Provinces Fire Service Act, 1944;
- (c) "*fire prevention and fire safety measures*" means such measures as are necessary under any law or rules for the time being in force for the prevention, control and fighting of fire and for ensuring the safety of life and property in case of fire;
- (d) "*local authority*" means a local authority as defined under the United Provinces Fire Service Act, 1944;
- (e) "*Government*" means Government of Uttar Pradesh;
- (f) "*nominated authority*" means any authority nominated by Government;
- (g) "*occupier*" includes,-
 - (i) any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable,
 - (ii) an owner in occupation of or otherwise using his land or building,
 - (iii) a rent-free tenant of any land or building,
 - (iv) a licensee in occupation of any land or building, and
 - (v) any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any land or building;
 - [(vi) any association of building owners or occupiers as formed under the building bye-laws or any other law of similar nature to which the builder/promoter (be it a person, company, building, by any firm, association or cooperative society) who is responsible for construction of a building, has handed over such fire prevention and fire safety measures as are warranted by law for the time being in force.]
- (h) "*owner*" includes a person who for the time being is receiving or is entitled to receive, the rent of any land or building whether on his own account or on account of himself and others or as an agent, trustee, guardian or receiver or any other person or who should so receive the rent or be entitled to receive it if the land or building or part thereof were let to a tenant and also included :
 - (i) the custodian of evacuee property in respect of evacuee property vested in him under Administration of Evacuee Property Act, 1950 (Act No. 31 of 1950),
 - (ii) any authority or institution under State Law and the Head of a Government Department, in respect of properties under their respective control;
 - (iii) any builder or promoter (be it a person, company, firm, association or cooperative society) responsible for construction of a building or premises, for which, the permission from fire service is mandatory under any law for the time being till such time that the building is handed over to the association of building, occupiers as formed under the building bye-laws or any other law of similar implementation of all fire fighting and prevention measures as warranted]. :

(i) "premises" means any land or any building or part of a building appurtenant thereto which is used for storing explosive substances and dangerously inflammable substance.

Explanation. In this clause, "explosive", "explosive substances" and "dangerously inflammable substances" shall have the meaning respectively, assigned to them in the Explosive Act, 1884 (Act No. 4 of 1884), the Explosive Substances Act, 1908 (Act No. 6 of 1908) and the Inflammable Substances Act, 1952 (Act No. 20 of 1952).

3. Inspection of buildings, premises, etc. (1) The nominated authority may, after giving three hours notice to the occupier or if there be no occupier, to the owner of any building having such height as may be prescribed or premises, enter and inspect the said building or premises at any time between sunrise and sunset where such inspection appears necessary for ascertaining the adequacy or contravention of fire prevention and fire safety measures :

Provided that the nominated authority may enter into and inspect any building or premises at any time if it appears to it to be expedient and necessary to do so in order to ensure safety of life and property.

(2) The nominated authority shall be provided with all possible assistance by the owner or occupier, as the case may be, -of the building or premises for carrying out the inspection under sub-section (1).

(3) When any building or premises used as a human dwelling is entered under sub-section (1) due regard shall be paid to the social and religious sentiments of the occupiers; and before any apartment in the actual occupancy of any woman, who according to the custom to her for withdrawing.

4. Measures for prevention and fire safety.-(1) The nominated authority shall, after the completion of the inspection of the building or premises under Section 3, record its views on the deviations from or the contraventions of, the building *bye-laws* with regard to the fire prevention and fire safety measures and inadequacy of such measures provided therein with reference to the height of the building or the nature of activities in such building or premises and issue a notice to the owner or occupier of such or premises directing him to undertake such measures as may be specified in the notice.

(2) The nominated authority shall also give a report of any inspection made by it under Section 3 to the District Magistrate.

5. Power to seal buildings or premises.-(1) Where on receipt of a report from the nominated authority under sub-section (2) of Section 4, it appears to the District Magistrate that the condition of any building or premises is dangerous to life or property, he shall without prejudice to any action taken under Section 8 by order, require the person in possession or occupation of such building or premises to remove themselves from such building or premises forthwith.

(2) If an order made by the District Magistrate under sub-section (1) is not complied with, the District Magistrate may direct any Police Officer having such jurisdiction in the area to remove such persons from the building or premises and such officer shall comply with such directions.

(3) After the removal of the persons under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, the District Magistrate shall seal the building or premises.

(4) No person shall remove such seal except under an order made by the District Magistrate.

6. Provision regarding certain building and premises.(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Chief Fire Officer may enter and inspect any building including a building under construction if such inspection appears necessary for ascertaining the adequacy of fire prevention and fire safety measures in such buildings.

(2) The entry and inspection under sub-section (1) shall be done by the Chief Fire Officer in the manner laid down in relation to nominated authority in Section 3.

(3) The Chief Fire Officer shall, after inspection of the building or premises under sub-section (1) and after taking into consideration

(a) the provisions of the building bye-laws in accordance with which the plan of the said building or premises was sanctioned; (b) the conditions imposed, if any, by the local authority at the time of the sanction of the plan of the said building or premises; and (c) the minimum standards for fire prevention and fire safety measures specified for such building or premises as may be

specified by rules framed under this Act; issue a notice to the power or occupier of such building or premises stating therein the inadequacy in regard to the fire prevention and fire safety measures in it and direct the owner or occupier to undertake measures for rectifying the said inadequacy within such period as he may consider just and reasonable.

7. Permission for certain buildings.—(1) Every building above 15 metre in height whether existing or to be erected or likely to be used for a purpose such as medical or other treatment or care of persons suffering from physical or mental illness, diseases or infirmity, case of infants, convalescents or aged person or for penal or correctional detention in which the liberty of inmates is restricted, shop, market, sleeping, accommodation, hotel or rooming house, Aucational institution, assembly building where group of people congregate or gather for amusement, recreation, social, religious, patriotic, civil travels or for a similar purposes shall submit plan and obtain a permission from entity authorised by the State Government that safety from fire is reasonably attainable in practical and can be achieved.

8. Default-Powers of the Chief Fire Officer.—(1) The Chief Fire Officer shall in the event of non-compliance of any notice issued under Section 4 or Section 6, take such steps as may be necessary for the compliance of such notice.

(2) All expenses incurred by the Chief Fire Officer in relation to any steps taken by him under sub-section (1) shall be payable by the owner or the occupier on demand and shall, if not paid within ten days after such demand, be recoverable as arrears of land revenue.

9. Appeals.—(1) Any person aggrieved by any notice or order of the nominated authority or the Chief Fire Officer may prefer an appeal against such notice or order to the State Government within thirty days from the date of notice or order appealed against :


Provided that the State Government may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period.

(2) An appeal to the State Government under sub-section (1) shall be made in such form and shall accompanied by a copy of the notice or order appealed against and by such fees as may be prescribed.

10. Bar of jurisdiction of Courts.—No Court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any notice or order under this Act and no such notice or order shall be called in question otherwise than by preferring an appeal under this Act.

11. Penalties.—Whoever contravenes any provision of this Act shall, without prejudice to any other action taken against him under Section 8 be punishable with imprisonment for a term which may extend to ten years or with fine which may extend to one lac rupees or with both and where the

offence is a continuing one, with a further fine which may extend to five thousand rupees for every day after the first during which such offence continue.



12. Offences by Companies.—1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was incharge of and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding, anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act, has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purposes of this section,

(a) "company" means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and (b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

13. Sanction of prosecution.—No Court shall proceed to the trial of an offence under this Act, except on the complaint of or upon information received from the nominated authority.

14. Jurisdiction.—No Court inferior to that of a Chief Judicial Magistrate shall try an offence punishable under this Act.

15. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rules made thereunder.

16. Officer to be public servant.—Every Officer acting under the provisions of this Act, shall be deemed to be a public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860).

17. Power to make rules.—1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for

- (a) the height of the building under sub-section (1) of Section 3;
- (b) the minimum standards for the fire prevention and fire safety measures;
- (c) the form in which an appeal shall be made and the fees that shall accompany such appeal under sub-section (2) of Section 9;
- (d) any other matter which is required to be or may be, provided by rules.

18. Repeal and saving.—(1) The Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Ordinance, 2005 (U. P. Ordinance No. 5 of 2005) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005

(उप्र प्र अधिनियम संख्या 5 सन् 2005)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

[17 मार्च, 2005]

विषय-सूची

धारा	धारा
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	10. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन
2. परिभाषाएं	11. शास्ति
3. भवनों, परिसरों आदि का निरीक्षण	12. कम्पनी द्वारा अपराध
4. अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपाय	13. अभियोजन की संस्वीकृति
5. भवन या परिसर को मुहरबन्द करने की शक्ति	14. अधिकारिता
6. कतिपय भवनों और परिसर के सम्बन्ध में उपबन्ध	15. सद्भावना से किए गए कार्य का संरक्षण
7. कतिपय भवनों की अनुज्ञा	16. अधिकारी, लोक सेवक होंगे
8. व्यतिक्रम-मुख्य अग्निशमन अधिकारी की शक्तियाँ	17. नियम बनाने की शक्ति
9. अपील	18. निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश में कतिपय भवनों और परिसरों में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए अधिक प्रभावशाली उपबन्ध बनाने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

उद्देश्य और कारण- संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1944) का अधिनियमन राज्य में आग बुझाने हेतु प्रान्तीय अग्निशमन सेवा के गठन और अनुरक्षण की व्यवस्था करने के लिए किया गया था, किन्तु राज्य में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के लिए कोई अधिनियम नहीं था। राज्य में कतिपय भवनों और परिसरों में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के प्रभावी उपाय प्रदान करने के लिए विभिन्न अधिनियमों और नियमों आदि के अधीन अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में उपबन्ध पर्याप्त नहीं थे। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में कतिपय भवनों और परिसरों में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के लिए प्रभावशाली उपबन्ध बनाने के लिए विधि बनाई जाए।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः दिनांक 24 जनवरी, 2005 को राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अध्यादेश, 2005 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2005) प्रख्यापित किया गया।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) यह दिनांक 24 जनवरी, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं-इस अधिनियम में,

(क) 'भवन' का तात्पर्य किसी गृह, उपगृह, स्तबल, शौचालय, मूत्रालय, सायबान, झोपड़ी दीवार (चहारदीवारी से भिन्न) या कोई अन्य संरचना, जो चिनाई ईंट, लकड़ी, मिट्टी धातु या अन्य पदार्थ के हों;

(ख) "मुख्य अग्निशमन अधिकारी" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944 के अधीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी से है।

(ग) 'अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों' का तात्पर्य ऐसे उपायों से है, जो अग्नि के निवारण, नियन्त्रण और शमन के लिए और आग लगने की दशा में जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अधीन आवश्यक हों;

(घ) 'स्थानीय प्राधिकारी' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944 के अधीन यथापरिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी से है;

(ङ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(च) 'नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी' का तात्पर्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी से है।

(छ) 'अधिभोगी' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं-

(एक) ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वामी को ऐसी भूमि या भवन का, जिसके सम्बन्ध में किराया दिया जाता है या देय हो, किराया या किराये का कोई भाग तत्समय दे रहा हो या देने के लिए दायी हो,

(दो) ऐसा स्वामी जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोगी है या उसका अन्यथा उपयोग कर रहा हो,

(तीन) किसी भूमि या भवन का किरायामुक्त अभिधारी,

(चार) कोई लाइसेंसधारी जो किसी भूमि या भवन का अधिभोगी हो,

(पाँच) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के प्रयोग या अधिभोग से हुए नुकसान के लिए स्वामी को भुगतान करने के लिए दायी हो;

1[(छह) भवन उपविधियों या सम प्रकृति के किसी अन्य विधि के अधीन यथा गठित भवन स्वामियों या अधिभोगियों का कोई संघ, जिसे भवन निर्माता/संप्रवर्तक ने (चाहे वह कोई व्यक्ति, कम्पनी, फर्म, संघ या सहकारी समिति हो) जो किसी भवन के निर्माण के लिए उत्तरदायी हो, ऐसे अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपायों को हस्तगत कराया हो, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा वारन्टी प्राप्त हो।] .

(ज) 'स्वामी' के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जो तत्समय चाहे अपने वास्ते या अपने एवं अन्य लोगों के मद्दे या किसी अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में किसी भूमि या भवन का किराया प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने का हकदार हो या यदि भूमि या भवन या उसका कोई भाग किसी अभिधारी को किराए पर दिया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति भी है, जिसे इस प्रकार किराया प्राप्त करना चाहिए या प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं-

(एक) निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में निष्क्रान्त सम्पत्ति का अभिरक्षक, जिसमें निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (अधिनियम संख्या 31 सन् 1950) के अधीन उक्त सम्पत्ति निहित हो,

(दो) राज्य विधि के अधीन कोई प्राधिकारी या संस्था और किसी सरकारी विभाग का विभागाध्यक्ष, उनके अपने-अपने नियन्त्रणाधीन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में;

2[(तीन) कोई भवन निर्माता या संप्रवर्तक (चाहे वह कोई व्यक्ति, कंपनी, फर्म, संघ या सहकारी समिति हों), जो किसी ऐसे भवन या परिसर के निर्माण के लिए उत्तरदायी हो, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अग्निशमन सेवा से अनुज्ञा ऐसे समय तक प्राप्त किया जाना अनिवार्य हो जिस समय तक यथा वारन्टी प्राप्त समस्त अग्नि शामक एवं अग्नि निवारण उपायों को लागू किये जाने के पश्चात् भवन . उपविधियों या सम प्रकृति के किसी अन्य विधि के अधीन यथा गठित भवन स्वामियों या अधिभोगियों के संघ को भवन हस्तगत करा दिया जाये।]

(झ) "परिसर" का तात्पर्य किसी ऐसी भूमि या भवन या उससे संलग्न किसी भवन के भाग से है, जिसका उपयोग विस्फोटक पदार्थों और खतरनाक रूप से ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण के लिए किया जाता हो;

स्पष्टीकरण- इस खण्ड में, 'विस्फोटक', 'विस्फोटक पदार्थों' और 'खतरनाक रूप से ज्वलनशील पदार्थों' के वही अर्थ होंगे, जो विस्फोटक अधिनियम, 1884 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1884), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 6 सन् 1908) और ज्वलनशील पदार्थ

3. भवनों, परिसरों आदि का निरीक्षण-(1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी किसी ऐसे भवन जिसकी ऊँचाई ऐसी हो जैसी विहित की जाए, के अधिभोगी या यदि कोई अधिभोगी न हो, तो उसके स्वामी को तीन घण्टे की सूचना देने के पश्चात् या परिसर में सूर्योदय या सूर्यास्त के मध्य किसी भी समय प्रवेश कर सकेगा और उक्त भवन या परिसर का निरीक्षण, जहाँ ऐसा निरीक्षण अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता या उनका उल्लंघन सुनिश्चित करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो, कर सकेगा :

परन्तु नामनिर्दिष्ट अधिकारी यदि उसे जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो, तो वह किसी भवन या परिसर में किसी भी समय प्रवेश करके निरीक्षण कर सकेगा।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भवन या परिसर के, यथास्थिति, स्वामी या अधिभोगी द्वारा उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण को कार्यान्वित करने के लिए समस्त सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जाएगी ।

(3) जब मानव आवास के रूप में प्रयुक्त किसी भवन या परिसर में उपधारा (1) के अधीन प्रवेश किया जाए, तो अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का सम्यक् ध्यान रखा जाएगा और प्रथा के अनुसार जनता के सामने प्रकट न होने वाली महिला के वास्तविक अधिभोग के किसी कमरे में उपधारा (1) के अधीन प्रवेश करने के पूर्व उसे इस बात की सूचना दी जाएगी कि वह वहाँ से हट जाने के लिए स्वतन्त्र है

और वहाँ से हटवाने के लिए उसे प्रत्येक समुचित सुविधा प्रदान की जाएगी।

4. अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपाय-(1) धारा 3 के अधीन भवन या परिसर का निरीक्षण पूर्ण हो जाने के पश्चात् नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों और भवन की ऊँचाई के सम्बन्ध में उनमें प्रदत्त ऐसे उपायों की अपर्याप्तता या ऐसे भवन या परिसर में किए जा रहे क्रियाकलापों की प्रकृति के सम्बन्ध में भवन सम्बन्धी उप-विधियों से विचलन या

उनके उल्लंघन पर अपने विचार अभिलिखित करेगा और ऐसे भवन या परिसर के स्वामी या अधिभोगी को यह निदेश देते हुए एक नोटिस जारी करेगा कि वह नोटिस में यथाविहित उपाय करे।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी धारा 3 के अधीन किए गए अपने निरीक्षण रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भी देगा ।

5. भवन या परिसर को मुहरबन्द करने की शक्ति -(1) जहाँ धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि किसी भवन या परिसर की दशा, जीवन या सम्पत्ति के लिए खतरनाक है, वहाँ वह धारा 8 के अधीन की गयी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति से, जिसके कब्जे या अधिभोग में ऐसा भवन या परिसर हो, से ऐसे भवन या परिसर से तुरन्त हट जाने की अपेक्षा करेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो वह जिला मजिस्ट्रेट भवन या परिसर से ऐसे व्यक्तियों को हटाने के लिए क्षेत्र में ऐसी अधिकारिता रखने वाले किसी पुलिस अधिकारी को निदेश दे सकता है और ऐसा अधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

(3) यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन व्यक्तियों को हटाए जाने के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट भवन या परिसर को सीलबन्द कर देगा।

(4) कोई भी व्यक्ति ऐसी सील को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अधीन के सिवाए नहीं हटाएगा।

6. कतिपय भवनों और परिसर के सम्बन्ध में उपबन्ध-(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य अग्निशमन अधिकारी किसी भवन में जिसके अन्तर्गत निर्माणाधीन भवन भी है, प्रवेश कर सकेगा या उसका निरीक्षण कर सकेगा, यदि ऐसा निरीक्षण ऐसे भवनों में अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा के उपायों की पर्याप्तता को अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो ।

(2) मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रवेश और निरीक्षण ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा धारा 3 में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के सम्बन्ध में अधिकथित है।

(3) मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन भवन या परिसर का निरीक्षण करने के पश्चात् और निम्नलिखित पर विचार करने के उपरान्त ऐसे भवन या परिसर के स्वामी या अधिभोगी को एक नोटिस देगा, जिसमें ऐसे भवन या परिसर में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपायों की अपर्याप्तता कथित करेगा और ऐसे स्वामी या अधिभोगी को उक्त अपर्याप्तता को ऐसी अवधि जैसी वह न्यायोचित या युक्तियुक्त समझे, के भीतर ठीक करने के लिए निर्देशित करेगा।

(क) भवन उप-विधियों के उपबन्ध, जिसके अनुसार उक्त भवन या परिसर की योजना अनुमोदित की गयी थी;

(ख) उक्त भवन या परिसर की योजना की मंजूरी के समय स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शर्तें, यदि कोई हों; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे भवन या परिसर के लिए विनिर्दिष्ट अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के न्यूनतम मानक।

7. कतिपय भवनों की अनुज्ञा- पन्द्रह मीटर से अधिक ऊँचाई वाले प्रत्येक भवन चाहे विद्यमान हो या परिनिर्माणाधीन हो, जिसका उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन यथा शारीरिक या मानसिक बीमारी, रोगों या दौर्बल्य से पीड़ित व्यक्तियों, शिशुओं के मामले, स्वास्थ्य लाभकर्ताओं या अधिक वय के व्यक्तियों की चिकित्सीय या अन्य उपचार या देखभाल करने या शास्ति या सुधारात्मक निरुद्धता, जिसमें निवासियों की स्वतन्त्रता निर्बन्धित हो, दुकान, बाजार, शयनवास, होटल या किराए के लिए सुसजित करने वाले मकान, शैक्षिक संस्था, सभा भवनों, जहाँ जन समुदाय मनोरंजन, आमोद, सामाजिक, धार्मिक, देश प्रेम सम्बन्धी, नागरिक यात्राओं के लिए इकट्ठा या एकत्रित होना हो या तत्समान प्रयोजनों के लिए किया

जाना सम्भावित हो, के लिए योजना प्रस्तुत की जाएगी और सरकार द्वारा प्राधिकृत सत्ता से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी कि अग्नि से सुरक्षा व्यवहारिक रूप में युक्तियुक्तपूर्वक प्राप्य है और प्राप्त की जा सकती है।

8. व्यतिक्रम-मुख्य अग्निशमन अधिकारी की शक्तियाँ-(1) मुख्य अग्निशमन अधिकारी, धारा 4 या धारा 6 के अधीन जारी किसी नोटिस का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में ऐसे कदम उठाएगा जो ऐसी नोटिस के अनुपालन के लिए आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन उठाए गए किन्हीं कदमों के सम्बन्ध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा उपगत समस्त व्यय, माँग किए जाने पर स्वामी या अधिभोगी द्वारा संदेय होंगे और यदि ऐसी माँग के पश्चात् दस दिन के भीतर संदत न किए जाएं तो भू-राजस्व के बकाए के रूप में उनकी वसूली की जा सकती है।

9. अपील-(1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या मुख्य अग्निशमन अधिकारी के किसी नोटिस या उसके आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राज्य सरकार को उस नोटिस या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के दिनांक से तीस दिन के अन्दर अपील कर सकेगा :

परन्तु सरकार उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकती है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत न किए जाने का पर्याप्त कारण था।

(2) उपधारा (1) के अधीन सरकार को कोई अपील ऐसे प्रपत्र में और उस नोटिस या आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की जानी है और ऐसी फीस के साथ की जाएगी जैसा विहित किया जाए।

10. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन-इस अधिनियम के अधीन कोई न्यायालय किसी नोटिस या आदेश के सम्बन्ध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और इस अधिनियम के अधीन ऐसी नोटिस या आदेश पर अपील प्रस्तुत किए जाने के अलावा अन्यथा आपत्ति नहीं की जाएगी।

11. शास्ति-जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, धारा 8 के अधीन, उसके विरुद्ध किए गए किसी अन्य कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अवधि के कारावास से जो दस वर्ष हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा या दोनों से और जहाँ अपराध निरन्तर जारी हों. वहाँ प्रथम बार के पश्चात् ऐसे निरन्तर अपराध के दौरान जुर्माने, जो रुपया पाँच हजार प्रति दिन तक हो सकेगा, से दण्ड का भागी होगा ।

12. कम्पनी द्वारा अपराध-(1) जहाँ इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कम्पनी द्वारा अपराध किया जाता है, तो अपराध किए जाने के समय में प्रत्येक व्यक्ति, जो कम्पनी के प्रभार में था और जो कम्पनी के व्यवसाय के संचालन के लिए उत्तरदायी था, के साथ ही साथ कम्पनी को अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और उस पर मुकदमा चलाया जा सकेगा और तदनुसार दण्डित किया जा सकेगा:

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात से कोई व्यक्ति सजा का पात्र नहीं होगा, यदि वह इस बात को सिद्ध कर देता है कि अपराध जानकारी के बिना किया गया था अथवा ऐसे अपराध को कारित होने से रोकने के लिए उसने सम्यक् तत्परता से प्रयास किया था।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ पर इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा कोई अपराध किया गया हो और यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपराध किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या कम्पनी के किसी अन्य अधिकारी की सहमति या उसकी मौनानुमति से किया गया है, तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी/कर्मचारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है और तदनुसार दण्डित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए-

- (क) 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसमें कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का . अन्य संघ सम्मिलित है; और
- (ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में 'निदेशक' का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ।

13. अभियोजन की संस्वीकृति-नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से शिकायत पर या उससे सूचना की प्राप्ति के सिवाए कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण की कार्यवाही नहीं करेगा।
14. अधिकारिता-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।
15. सद्भावना से किए गए कार्य का संरक्षण-इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियम के अधीन सद्भाव से किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
16. अधिकारी, लोक सेवक होंगे- इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक अधिकारी को, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।
17. नियम बनाने की शक्ति-(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।
 (2) विशिष्टतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित व्यवस्था होगी
 - (क) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भवन की ऊँचाई;
 - (ख) अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए न्यूनतम मानक;
 - (ग) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्रपत्र, जिसमें कोई अपील की जाएगी और ऐसी अपील की फीस जो ऐसी अपील के साथ दी जाएगी;
 - (घ) कोई अन्य विषय जो अपेक्षित हों या जिसको नियमों द्वारा उपबन्धित किया जा सके।
18. निरसन और अपवाद-उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अंद्यादेश, 2005 (उत्तर प्रदेश अंद्यादेश संख्या 4 सन् 2005) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे ।